अनुस्मारक–3/तत्काल

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– ५९४ /11–सी–FP/UP/IND/39403/2019, लखनऊ, दिनांकः सितम्बर ०५ ,2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत मे0 रेनुसागर पावर कम्पनी को ऐश डिस्पोजल यार्ड के निर्माण हेतु 10 वर्षो की लीज (दिनांक 21.06.2019 से 20.06.2029 तक के लिए) दी गयी 61.2348 हे0 वनभूमि के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– उ0प्र0 शासन का पत्रांक–966/81–2–2020–911/1992, दिनांक 15.06.2020, इस कार्यालय का पृष्ठांकन सं0–2194/11–सी, दिनांक 16.06.2020, इस कार्यालय का पत्रांक–361/11–सी–FP/UP/IND/39403/2019, दिनांक 17.08.2020 ,उ0प्र0 शासन का पत्रांक 1492/81–2–2020–911/1992, दिनांक 20.08.2020, इस कार्यालय का पत्रांक 410/11–सी–FP/UP/IND/39403/2019, दिनांक 21.08.2020 एवं उ0प्र0 शासन का पत्रांक–1492(2)/81–2–2020–911/1992, दिनांक 01.09.2020 (छायाप्रति संलग्न)।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। उ0प्र0 शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 15.06.2020 द्वारा विषयगत प्रकरण में वित्तीय हानि की प्रतिपूर्ति के लिए प्रश्नगत अवधि के प्रारम्भ में देय रटॉप डयूटी प्रस्तावक विभाग से प्राप्त करते हुये कृत कार्यवाही से अवगत कराने हेतु इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्रों के द्वारा आपको पत्र लिखा गया है, किन्तु अभी तक आपके द्वारा विषयगत प्रकरण में प्रश्नगत अवधि के प्रारम्भ में देय रटॉप डयूटी प्रस्तावक विभाग से प्राप्त कर उसकी सूचना/आख्या संस्तुति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है, इसी सम्बन्ध मे पुनः उ0प्र0 शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 01.09.2020 के द्वारा वांछित अद्यतन आख्या तत्काल उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुस्मारक प्राप्त हुआ है।

अतः उ0प्र0 शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 01.09.2020 की छायाप्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में उ0प्र0 शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र दि0 15.06.2020 के क्रम में देय स्टॉप डयूटी प्रस्तावक विभाग से तत्काल प्राप्त करते हुये उसकी सूचना/आख्या अभिलेखों एवं साक्ष्यों सहित लौटती डाक से दो दिन के अंदर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः आपका व्यक्तिगत ध्यानाकर्षित है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– ५९४ /11–सी–FP/UP/IND/39403/2019, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

E.D.S. अनुस्मारक पत्र
पत्रांक 952 दि0 13.09.2020 तत्काल

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-701